

6

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA  
 वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग / MINISTRY OF FINANCE, DEPARTMENT OF REVENUE  
 कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अंकेक्षण आयुक्तालय, जोधपुर  
 OFFICE OF THE COMMISSIONER, CGST AUDIT COMMISSIONERATE, JODHPUR  
 जी-105, जोधपुर, नविन जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, 342003  
 टेली: 0291-2795114; फैक्स: 0291-2740108; ईमेल:- [commr.adt.jdr@gmail.com](mailto:commr.adt.jdr@gmail.com)

**जन सूचना संख्या 04/2020**

सभी जन साधारण को सूचित किया जाता है की केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, अंकेक्षण, जोधपुर के अधिकार क्षेत्र में निम्न अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) एवं धारा 19(1) के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआइओ) नियुक्त किया जाता है।

क्रम संख्या.	कार्यालय	संबन्धित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के नाम, पद एवं पता
1	2	3
1	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (अंकेक्षण) वृत्त, जोधपुर	श्री उम्मेद सिंह चौहान, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (अंकेक्षण) वृत्त, जोधपुर, जी-105, न्यू इंडस्ट्रियल एरिया, डीजल शेड के सामने, बासनी, जोधपुर - 342003. टेली: 0291-2795114, फैक्स: 0291-2740108, ईमेल : <a href="mailto:actechadt-jod-rj@gov.in">actechadt-jod-rj@gov.in</a>
2	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (अंकेक्षण) वृत्त, उदयपुर	श्री उम्मेद सिंह चौहान, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (अंकेक्षण) वृत्त, उदयपुर. 9-10, महाराणा प्रताप हाउसिंग सोसाइटी, सेक्टर 13, उदयपुर टेली: 0294-2943001 ईमेल : <a href="mailto:acadt-uda-rj@gov.in">acadt-uda-rj@gov.in</a>

*आलोक गुप्ता*

(आलोक गुप्ता) 30/12

आयुक्त,

केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर,

(अंकेक्षण) जोधपुर.

f. No. V(RTI) 30-01/Audit (CGST) JDR/2020/2410

दिनांक: 29.12.2020

प्रति: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (जयपुर ज़ोन), जयपुर.
2. प्रधान आयुक्त/आयुक्त केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, अलवर/जयपुर/उदयपुर/जोधपुर/ऑडिट जयपुर, अपीलस जयपुर एवं जोधपुर/ सीमा शुल्क जयपुर.
3. उपायुक्त/सहायक आयुक्त केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, अंकेक्षण, जोधपुर.
4. अधीक्षक (कंप्यूटर), वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत.
5. नोटिस बोर्ड.

(आलोक गुप्ता)

आयुक्त.